

आदेश

राज्य के समस्त समन्वित राजकीय उमावि./माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 10/12 तक संचालित) में कक्षा 1 से 5 में गुणवत्ता शिक्षण एवं विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एज्यूकेशन (SIQE) परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त एस.आई.ई.आर.टी., यूनिसेफ एवं बोध शिक्षा समिति के मध्य एक एम ओ यू किया गया है। एम ओ यू के तहत नीति निर्धारण के उद्देश्य से एक परियोजना परिचालन समिति (Programme Steering Committee) का गठन किया जाता है। इस समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे—

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर | — अध्यक्ष |
| 2. प्रतिनिधि, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर | — विशेष आमन्त्रित सदस्य |
| 3. अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् | — परियोजना समन्वयक |
| 4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर | — सदस्य सचिव |
| 5. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर | — परियोजना परामर्शक |
| 6. उपायुक्त रामाशिप. जयपुर | — सदस्य |
| 7. राज्य समन्वयक, रामाशिप. जयपुर | — सदस्य |
| 8. प्रतिनिधि, यूनिसेफ | — परियोजना परामर्शक |
| 9. निदेशक, बोध शिक्षा समिति, जयपुर | — परियोजना परामर्शक |
| 10. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (रोटेशन से कोई - 3) | — आमंत्रित सदस्य |

Programme Steering Committee परियोजना के लिए शीर्ष निकाय (Apex -Body) के रूप में कार्य करेगी। सम्बन्धित कमेटी —

- परियोजना के सुचारु एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी नीतिगत निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी।
- परियोजना क्रियान्वयन की योजना का अनुमोदन करने के लिए अधिकृत होगी।
- परियोजना के सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही करेगी।
- परियोजना के क्रियान्वयन की राज्य कार्यकारी समूह एवं राज्य शैक्षिक समूह की रिपोर्ट एवं संस्तुतियों के आधार पर नियमित समीक्षा करेगी एवं योजना में आवश्यक बदलाव करने हेतु अधिकृत होगी।
- परियोजना परिचालन समिति के रूप में परियोजना के सुचारु एवं सफल संचालन के लिए आवश्यक उपसमितियों एवं कार्यसमूहों का समय-समय पर गठन करने हेतु अधिकृत होगी।
- परियोजना की समीक्षा कर परियोजना में आवश्यकतानुसार तकनीकी परिवर्तन करने के लिए अधिकृत होगी।
- परियोजना की समीक्षा एवं परिणामों के आधार पर राज्य सरकार को नियमित रूप से सूचना देने के लिए अधिकृत होगी एवं एम ओ यू के सभी सहभागियों को राज्य सरकार के दृष्टिकोण से अवगत कराएगी।

- परियोजना की समीक्षा एवं प्रगति के आधार पर एम ओ यू की अवधि एवं कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए अधिकृत होगी।

- परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु एम ओ यू में अन्य संस्थाओं को सहभागी के रूप में जोड़ने के लिए अधिकृत होगी।

समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार आवश्यक रूप से की जायेगी।

(नरेश पाठ) 15/6/15
शासन सचिव (मा.शि.) एवं आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर

प्रतिलिपि : आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सहायक, शासन सचिव, मा.शि., राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, रामाशिप. जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निजी सहायक, आयुक्त, रामाशिप जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, रामाशिप. जयपुर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, रामाशिप. जयपुर।
8. निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर।
9. उपायुक्त, रामाशिप. जयपुर।
10. राज्य समन्वयक, रामाशिप. जयपुर।
11. यूनिसेफ, जयपुर।
12. निदेशक, बोध शिक्षा समिति, जयपुर।
13. उपनिदेशक, (नोडल प्रभारी, रामाशिप.) निदेशालय, मा.शि., राजस्थान, बीकानेर।
14. उपनिदेशक, प्रशिक्षण एवं क्वालिटी, रामाशिप. जयपुर।
15. जि.शि.अ., मा.शि. एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिला।
16. कार्यालय प्रति।

15/6/15
शासन सचिव (मा.शि.) एवं आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर